

28-6-18

पञ्जाबली नाम आपके दूध - 2018 में न्यायालय  
द्वारा पेश हुई। पक्कानों को सुना जाकर उनके  
अदालत की भावना से 31-1-13 को जारी  
आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उभय  
पक्षों को मूलवाद के निस्तारण तक पबन्ड  
किया गया। इस आदेश सम्बन्धी को

आज्ञा विस्तृत रूप से

संख्यांक नदरीप-जारी है। पञ्जाबली के कुल  
शुमार टोकर कुं नम्बर से कम है। आदेश  
द्वारे न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी  
सौमर लेल